



कार्यालय कलेक्टर, (वित्त शाखा) जिला बस्तर, जगदलपुर  
“ द्वितीय ईशतहार ”

क्रमांक/13/स0वि0लि0-दो/2020

जगदलपुर, दिनांक 20/10/2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शासकीय वाहन क्रमांक सी0जी/02 3682, सी0जी002 3685, सी0जी002 3689, सी0जी002 3690 (टाटा स्पेशियो) वाहनो के विक्रय हेतु सीलबंद लिफाफा निविदा दिनांक 9/11/2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे अपर कलेक्टर के समक्ष खोली जावेगी।

वाहन का विवरण

क्रमांक	वाहन का प्रकार	माडल वर्ष	अपसेट प्राईज	अन्य विवरण
1	सी0जी002 3682 टाटा स्पेशियो	2008	32,000/-	वाहन बंद है।
2	सी0जी002 3685 टाटा स्पेशियो	2008	38,000/-	वाहन बंद है।
3	सी0जी002 3689 टाटा स्पेशियो	2008	38,000/-	वाहन बंद है।
4	सी0जी002 3690 टाटा स्पेशियो	2008	29,000/-	वाहन बंद है।

निविदा के शर्तः-

- 1- वाहन क्रय करने हेतु सीलबंद निविदा कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर के नाम प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 2- वाहन जहाँ जिस हालत में है, दिया जायेगा।
- 3- वाहन का अवलोकन जिला कार्यालय में कार्यालयीन दिवस 10.30 से 5.30 के मध्य किया जा सकता है।
- 4- निविदा के साथ प्रत्येक वाहन 3,000.00 रुपये का अमानत राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कलेक्टर बस्तर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचारणीय नहीं होगी। प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा भरा जाना होगा।
- 5- उच्चतम निविदा दाता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जावेगी निविदा स्वीकार होने के दिनांक से 20 दिवस के भीतर राशि चालान से जमा करने के पश्चात वाहन सुपुर्द किया जावेगा। निलामी के बाद वाहन नहीं उठाने की स्थिति में अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6- निविदा स्वीकार करने का अंतिम निर्णय का अधिकार कलेक्टर बस्तर को होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती।
- 7- सीलबंद लिफाफे पर वाहन क्रमांक लिखा जाकर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

अपर कलेक्टर

9 जिला बस्तर